

04/11

विक्रय-पत्र

1- भागा रू०..... 1,38,000/-
 2- मालियत रू०..... 1,38,000/-
 3- किसम जमीन..... सपाई (जनपदीय भाग)
 4- क्षेत्रफल/रकबा..... 0.102 हेक्टेयर
 5- वार्षिक किराया/लगान..... 1,45 रु०
 6- आच्छादित क्षेत्रफल.....
 7- विक्रेता/क्रेता अनुसूचित जाति/जनजाति से है/नहीं है।

8- देय स्टाम्प रू०..... 6,900/-
 9- सरकारी रेट रू०..... 9 लाख 50 हजार 50 + 20% आर्षिड
 10- रेट लिस्ट पेज नं०..... 37,48
 क्रमांक..... 147 क्र०सं०..... 8, 21
 11- स्थित ग्राम/मौ०..... फुला
 परगना..... बूढ़पुर
 12- जिला.....

मैं/हम कि प्रामाणिक कलावली पार्टी स्व० लुरुमान सिंह निवासी फुला परगना बूढ़पुर तहसील चौदपुर जिला बिजनौर (उ०प्र०)

ने स्वयं 1,38,000/- (एक लाख बाइसीस हजार रुपये) विक्रेता
 जिसके आवे स्वयं 69,000/- (उत्तर हजार रुपये)

होते हैं प्रतिफल के बदले में श्री "हरिपाल शास्त्री रेवकेशन एवं सोशल डवलपमेंट ट्रस्ट" एस०बी०-51, शास्त्रीनगर, गाणियावाड़ द्वारा चैयरमैन - मनोज कुमार पुत्र महाराज सिंह निवासी एस०बी०-51, शास्त्रीनगर, गाणियावाड़ एवं ताइस चैयरमैन - गजेन्द्रपाल सिंह पुत्र वलराज सिंह नि० बुड़गरा परगना किरतपुर तह० चौदपुर नजीवावाड़ एवं सेक्रेट्री कालो कुंभार पुत्र हरिपाल शास्त्री नि० फुला पर० बूढ़पुर तह० चौदपुर एवं ट्रेज्यर राजीव कुमार पुत्र महाराज सिंह नि० एस०बी०-51 शास्त्रीनगर गाणियावाड़ के हक में ग्राम/मौ० फुला परगना बूढ़पुर तहसील, चान्दपुर

जिला बिजनौर का पूर्ण स्वामी है और उस पर काबिज है। यह सम्पत्ति हर प्रकार के ऋण, भार बन्धक आदि से मुक्त है तथा इसको विक्रय करने का विक्रेता को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतः विक्रेता ने अपनी खुशी व रजामन्दी से बिना किसी दबाव के अपनी स्वस्थ चित्त शरीर व स्थिर बुद्धि की दशा में भली प्रकार विचार कर अपनी आवश्यकता तथा वर्तमान बाजारी मूल्य पर इस सम्पत्ति को इससे सम्बन्धित स्तत्य, अधिकारों एवं हितों सहित बिना कुछ सुरक्षित रखे संलग्न स्टाम्प पेपर पर अंकित प्रतिफल के बदले में क्रेता पक्ष उक्त को विक्रय कर दिया। अब इस सम्पत्ति से विक्रेता अधवा उसके किसी उत्तराधिकारी का कोई वास्ता व ताल्लुक किसी प्रकार का नहीं रहा है और न ही भविष्य में होगा। यदि विक्रेता के स्तत्य अधिकारों के अभाव या किसी विविध त्रुटि के कारण या किसी भागीदार के उत्पन्न होने या किसी कारण से विक्रीत सम्पत्ति का कुल या उसका अंश क्रेता के अधिकार से निकल जाने या उस पर क्रेता को अधिकार न मिले या किसी भार जिसका स्पष्ट उल्लेख विक्रेता में न किया गया हो क्रेता को चुकता करना पड़े तो ऐसी समस्त दशाओं में क्रेता को अधिकार होगा कि कच्चा स्वयं या अदालत द्वारा ले लेवे और अपनी हानि तथा व्यय, भार सब मय हर्जा खर्चा अदालत से विक्रेता व उसके उत्तराधिकारियों की माल व जायदाद से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लें। विक्रेता व उसके उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति न होगी। कच्चा क्रेता का मौके पर करा दिया है अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद हो और समय पर काम आवे।

स्टाम्प की कीमत रू०..... 6,900/- इस विक्रय पत्र के साथ संलग्न।
 विक्रीत धन की अदायगी..... फुला की कुल नरुद
 फोटो प्रमाणित द्वारा..... न.प.स. देवा. रूप. विक्रेता द्वारा
 स्थित ग्राम/मौ०..... फुला परगना..... बूढ़पुर तहसील..... चौदपुर

Manoj Kumar Goyal
 विक्रय कर लेने वाला
 विक्रय कर लेने वाला
 विक्रय कर लेने वाला

₹ 1,38,000

2760 20 2780 600

~~श्रीमती अश्वती~~ ~~की~~ ~~दो~~ ~~हजार~~ ~~रुपये~~

~~अश्वती~~ ~~को~~ ~~दो~~ ~~हजार~~ ~~रुपये~~

~~अश्वती~~ ~~को~~ ~~दो~~ ~~हजार~~ ~~रुपये~~

11/11/2008

11/11/08

G. Anand

श्रीमती अश्वती

अश्वती

अश्वती

1,38,000

अश्वती

अश्वती

अश्वती

G. Anand

Manoj Kumar

Gopal

फस

अश्वती

अश्वती

अश्वती

अश्वती

11/11/08